



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 वैशाख 1945 (श0)

(सं0 पटना 413) पटना, बुधवार, 17 मई 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

17 मई 2023

एस० ओ० 131, दिनांक 17 मई 2023-बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम - 12, 2017) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिश पर यह अधिसूचित करते हैं कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो उक्त अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (1) के अधीन तारीख 28 फरवरी, 2023 को या उससे पहले जारी किए गए निर्धारण आदेश की तामील से तीस दिनों की अवधि के भीतर विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो जाता है, तो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के वर्गों के रूप में जिन के संबंध में उक्त निर्धारण आदेश वापस लिया गया समझा जाएगा, यदि ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति नीचे विनिर्दिष्ट विशेष प्रक्रियाओं का पालन करते हैं, अर्थात्:-

- रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति 30 जून, 2023 को या उससे पहले उक्त विवरणी प्रस्तुत करेंगे;
- विवरणी उक्त अधिनियम की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन देय ब्याज के भुगतान और उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन संदेय विलंब फीस के संलग्न होगी,

यह ध्यान दिए बिना कि क्या कोई अपील उक्त अधिनियम की धारा 107 के अधीन ऐसे निर्धारण आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है या नहीं या उक्त निर्धारण आदेश के विरुद्ध फाइल की गई अपील यदि कोई हो, निर्णित की गई है या नहीं।

[(सं० बि०-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड- 12)1581)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

डॉ०प्रतिमा ,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

17 मई 2023

एस० ओ० 131, दिनांक 17 मई 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-12)1581)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 17th May 2023

S.O. 131, Date The 17th May 2023- In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered persons who failed to furnish a valid return within a period of thirty days from the service of the assessment order issued on or before the 28th day of February, 2023 under sub-section (1) of section 62 of the said Act, as the classes of registered persons, in respect of whom said assessment order shall be deemed to have been withdrawn, if such registered persons follow the special procedures as specified below, namely,-

- (i) the registered persons shall furnish the said return on or before the 30th day of June 2023;
- (ii) the return shall be accompanied by payment of interest due under sub-section (1) of section 50 of the said Act and the late fee payable under section 47 of the said Act,

irrespective of whether or not an appeal had been filed against such assessment order under section 107 of the said Act or whether or not the appeal, if any, filed against the said assessment order has been decided.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-12)1581)]

By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 413-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>